

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2894 का उत्तर

ब्रेक वैन सेवाओं का निजीकरण

2894. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि ब्रेक वैन सेवाओं, जो किसानों, छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए माल परिवहन का एक सुलभ और किफायती साधन था, के निजीकरण के कारण सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं लेकिन उक्त सेवा को निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि इससे हजारों मजदूरों के साथ-साथ ग्रामीण और छोटे व्यापारियों के जीवन-यापन की लागत बढ़ गई है और रेलवे की राजस्व क्षमता और बजट संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार उक्त निर्णय की समीक्षा करके ब्रेक वैन सेवाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस नीति बनाने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त सेवाओं के निजीकरण के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्रेक वैन माल सेवाओं के माध्यम से अर्जित लाभ-हानि और राजस्व का विश्लेषण क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

- (क) से (ङ): सभी पैसेंजर गाड़ियों के साथ दो ब्रेक वैन (एसएलआर) लगे होते हैं। ब्रेक वैन के स्पेस का उपयोग नामित स्टेशन युग्म के बीच नश्यवान वस्तुओं, यात्री सामान, समाचार-पत्र पत्रिकाओं आदि के परिवहन के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, ब्रेक वैन में पार्सल स्पेस को एग्रीगेटरों को भी पट्टे पर दिया जाता है।

2022 से पट्टे पर देने की विधि निविदा आधार से बदलकर ई-नीलामी द्वारा कर दिया गया है जो अधिक स्फूर्त है और वास्तविक अर्जन क्षमता का लाभ उठाने में सहायता मिलती है। एलएचबी डिज़ाइन के ब्रेक वैन (एसएलआर) में पार्सल स्पेस की ई-नीलामी करते समय, क्षेत्रीय रेलों को इसकी व्यवहार्यता और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुचित सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।

रेलवे द्वारा बुक किए गए पार्सल स्पेस की माल ढुलाई दर लागू पार्सल टैरिफ के अनुसार होती है, जबकि पट्टे पर दिए गए पार्सल स्पेस की माल ढुलाई दर बाज़ार द्वारा निर्धारित होती है। ब्रेक वैन में परिवहन से छोटे किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई क्षेत्र) से जुड़े व्यक्तियों को लाभ हो रहा है, और इससे भारतीय रेल के पार्सल यातायात में वृद्धि में मदद मिली है।
